प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 3407/2008

याचिकाकर्ता:

अभिषेक यादव, पिता श्री अखंड यादव, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी कोतराही, तहसील-वाड्रफनगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, पंचायत, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. कलेक्टर, सरगुजा (छ.ग.)।
4. अजय यादव, पिता रामवृक्ष यादव, निवासी कोतराही, तहसील वाड्रफनगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
5. हरिचरण कुशवाहा, पिता नंकुराम, निवासी पेंडारी, तहसील वाड्रफनगर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

राज्य के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 के लिए सुश्री शर्मिला सिंघई, अधिवक्ता।

-- मौखिक आदेश --

(दिनांक 08.12.2008 को पारित किया गया)

पक्षकारों की सहमति से, प्रकरण को अंतिम सुनवाई हेतु लिया गया है।

1. इस याचिका में संचालक, पंचायत द्वारा प्रकरण क्रमांक 123/ए-89/07-08 (अजय यादव विरुद्ध अभिषेक यादव एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.06.2008 (अनुलग्नक-पी/6) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली गई है और कलेक्टर द्वारा दिनांक 26.06.2006 (अनुलग्नक पी/1) को पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 4 जनपद पंचायत, वाड्रफनगर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 से जनपद सदस्य निर्वाचित हुआ था। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 5 के साथ मिलकर उत्तरवादी क्रमांक 4 के विरुद्ध दिनांक 15.02.2005 को कलेक्टर के समक्ष छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में "अधिनियम, 1993") की धारा 36 (1) (ड) के अधीन एक शिकायत की, जिसमें यह कहा गया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 की तीन संतानें हैं और तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 के पश्चात अर्थात् दिनांक 29.01.2004 को हुआ था। अतएव, उत्तरवादी क्रमांक

4 अधिनियम, 1993 की धारा 36 (1)(ड) के उपबंधों के अधीन जनपद सदस्य का पद धारण करने के लिए निरर्हित है।

3. कलेक्टर ने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात और जांच संचालित करने के बाद, दिनांक 26.06.2006 (अनुलग्नक पी/1) को उत्तरवादी क्रमांक 4 को यह अभिनिर्धारित करते हुए निरर्हित कर दिया कि तीसरी संतान का जन्म दिनांक 29.01.2004 को अर्थात् दिनांक 26.01.2001 के पश्चात हुआ था और इस प्रकार उत्तरवादी क्रमांक 4 को निरर्हित घोषित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. व्यथित होकर, उत्तरवादी ने संचालक, पंचायत के समक्ष एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। संचालक, पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 31.10.2006 (अनुलग्नक पी/2) द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2006 को अपास्त कर दिया और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात नए सिरे से सुनवाई के लिए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया।

5. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 5 ने सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष प्रकरण क्रमांक 226/ए/न्या./पं./05-06 संख्यांकित अपील दायर की। सचिव ने सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात, संचालक, पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक

31.10.2006 की पुष्टि करते हुए दिनांक 19.01.2007 (अनुलग्नक पी/3) को आवेदन खारिज कर दिया।

6. तत्पश्चात, कलेक्टर ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने और दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तरवादी क्रमांक 4 की दो संतानों का जन्म दिनांक 26.01.2001 के पश्चात, दिनांक 11.01.2003 और 29.01.2004 को हुआ था और इस प्रकार उत्तरवादी क्रमांक 4 अधिनियम, 1993 की धारा 36(1)(ड) के अधीन पंचायत का कोई भी पद धारण करने के लिए पात्र नहीं है। तदनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 4 को आदेश दिनांक 11.03.2008 (अनुलग्नक पी/4) द्वारा जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 11, जनपद पंचायत, वाड्रफनगर के पद से हटा दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पुनः व्यथित होकर, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने संचालक, पंचायत के समक्ष अपील प्रस्तुत की। संचालक पंचायत ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम, 1993 की धारा 36 (1) (ड) के अधीन विहित निरर्हता को दिनांक 23.05.2008 से विलोपित कर दिया गया है। इस प्रकार, कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया और अपील स्वीकार कर ली गई। अतएव, यह याचिका दायर की गई है।

8. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि संचालक पंचायत ने इस तथ्य का मूल्याङ्कन किए बिना कि उत्तरवादी क्रमांक 4 की दूसरी और तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 के पश्चात अर्थात् दिनांक 11.01.2003 और 29.01.2004 को हुआ था, उत्तरवादी क्रमांक 4 की अपील स्वीकार कर ली है, और इस प्रकार वह विधि के अनुसार पोषणीय नहीं है।

9. श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क दिया कि यही विषय इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष विचारार्थ आया था। महेंद्र बुडेक विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य [रिट याचिका (227) क्रमांक 3106/08] के प्रकरण में एकल पीठ ने विचार करने के पश्चात निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "18. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील के लंबित रहने के दौरान होने वाली उत्तरवर्ती घटना या विधि में परिवर्तन को अपीलीय चरण में नहीं देखा जा सकता है, भले ही संशोधित विधि अब अच्छी विधि न रह गई हो।
>
> 19. विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियम के प्रभाव पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि जब तक विपरीत आशय न दिखाया जाए, उपबंधों की प्रयोज्यता भविष्यलक्षी होगी। प्रकरण के तथ्यों में, संशोधन अधिनियम, 2008 में ऐसा कोई आशय व्यक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार, पहले अर्जित की गई निरर्हता को उत्तरवर्ती संशोधन अर्थात् संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा सुधारा या विधिमान्य नहीं किया जा सकता है।"

10. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

11. लक्ष्मण प्रसाद जांगड़े विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य [रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3027/08] के प्रकरण में, इस न्यायालय ने महेंद्र बुडेक (पूर्वोक्त) के प्रकरण में पारित इस न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.08.2008 का अवलंब लेते हुए याचिका स्वीकार की थी।

12. उक्त आदेश के विरुद्ध, एक रिट अपील क्रमांक 220/08 दायर की गई थी। रिट अपील को भी खारिज कर दिया गया और एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका पूर्णतः महेंद्र बुडेक (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिनांक 11.08.2008 को पारित निर्णय और आदेश से आच्छादित है।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने तत्पश्चात, **टी. कालियामुथी और एक अन्य विरुद्ध फाइव गोरी थैकल वक्फ और अन्य [(2008) 9 एस.सी.सी. 306]** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि "जहाँ वाद का अधिकार नए उपबंध के लागू होने से पहले लागू परिसीमा विधि के अधीन वर्जित है और दूसरे को एक निहित अधिकार प्राप्त हो गया है, वहाँ नया उपबंध वर्जित अधिकार को

पुनर्जीवित नहीं कर सकता है या अर्जित निहित अधिकार को छीन नहीं सकता है।"

15. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त वर्णित कारणों से, याचिका स्वीकार की जाती है। संचालक, पंचायत द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 123/ए-89/07-08 (अजय यादव विरुद्ध अभिषेक यादव एवं अन्य) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.06.2008 (अनुलग्नक पी/6) को अपास्त किया जाता है और कलेक्टर, सरगुजा द्वारा पंचायत प्रकरण क्रमांक 9/बी-121/04-05 में पारित आदेश दिनांक 11.03.08 (अनुलग्नक पी/4) को बहाल किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**